भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2146
दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

महिला एवं बाल विकास योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी

2146. **डॉ. आलोक कुमार सुमनः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय की पोषण और बाल विकास कार्यक्रमों सहित अग्रणी योजनाओं के अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं और बच्चों को शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान करने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और
(ग) देश में सभी पात्र लाभार्थियों का शत-प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के लिए समय-सीमा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): पूरे देश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, पोषण और समग्र विकास के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई है और उन्हें तीन व्यापक मिशनों अर्थात (1) पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (2) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति और (3) संकटग्रस्त परिस्थितियों में बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य में बांटा गया है। योजनाओं का विवरण इस प्रकार है

(i) सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0): कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए, आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु) को व्यापक मिशन

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है, जहां विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की होती है। इस मिशन को देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह मिशन एक सार्वभौमिक स्वयं चयन की जाने वाली व्यापक योजना है जो सभी पात्र लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को छह सेवाओं अर्थात पूरक पोषण (एसएनपी), विधालय पूर्व (प्री-स्कूल) अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाओं का एक पैकेज प्रदान किया जाता है। छह सेवाओं में से तीन अर्थात टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से दी जाती हैं। ये सेवाएं आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से राज्यों के आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी जिलों में पात्र पंजीकृत लाभार्थियों अर्थात 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों को दी जाती हैं। लाभार्थियों की संख्या और आंगनवाड़ी सेवाओं से संबंधित अन्य जानकारी पोषण ट्रैकर के लिंक **https://www.poshantracker.in/statistics** पर उपलब्ध है।

(ii) मिशन शक्ति: 'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों को मजबूत करना है। यह मंत्रालयों/विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों पर समन्वय को बेहतर बनाने के लिए कार्यनीतियां प्रस्तावित करने पर केंद्रित है। मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए क्रमशः 'संबल' और 'सामर्थ्य' नामक दो उप-योजनाएं शामिल हैं।

“संबल” उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत घटक शामिल हैं।

- **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)**-वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) पूरे देश में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत और तत्काल सहायता तथा सहयोग प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनोसामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है।
- **महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल)-** महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल-181) आपातकालीन और गैर-आपातकालीन दोनों स्थितियों में महिलाओं की सहायता

के लिए 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवाएं देती है। यह पूरे देश में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता तथा सरकारी योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी देती है।

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)-** बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना 22 जनवरी 2015 को शुरु की गई थी। इसका उद्देश्य बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) तथा जीवन चक्र के दौरान बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने में सहायता देना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना ने सरकारी एजेंसियों, मीडिया, नागरिक समाज और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों को एकजुट करके नीतिगत पहल से राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया है।
- **नारी अदालत-**नारी अदालत योजना ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण मंच प्रदान करती है। इन अदालतों को पंचायत स्तर पर, संकटग्रस्त महिलाओं को घरेलू हिंसा और लिंग आधारित अन्य हिंसा से संबंधित छोटे मामलों को बातचीत, मध्यस्थता और आपसी सहमति से सुलह के माध्यम से हल करने में सहायता करने का दायित्व सौंपा गया है ताकि उन्हें न्याय मिल सके।

"सामर्थ्य" उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना और संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) घटक शामिल हैं।

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)-** प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) देश के 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (तेलंगाना को छोड़कर, जो पीएमएमवीवाई पोर्टल पर शामिल होने की प्रक्रिया में है) में 01.01.2017 से क्रियान्वित की जा रही है। पीएमएमवीवाई केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत पहले बच्चे के लिए 5,000/-रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दी जाती है। पात्र लाभार्थियों को शेष नकद प्रोत्साहन राशि संस्थागत प्रसव के बाद, जननी सुरक्षा योजना के तहत मातृत्व लाभ के लिए स्वीकृत मानदंडों के अनुसार प्राप्त होती है, जिससे औसतन एक महिला को 6,000/- रुपए मिलते हैं। पीएमएमवीवाई के तहत दूसरे बच्चे के लिए भी 6,000/- रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है, बशर्ते दूसरा बच्चा बेटी हो।
- **शक्ति सदन-** व्यापक 'मिशन शक्ति' के अंतर्गत, कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए पहले की 'स्वाधार गृह' योजना और मानव दुर्व्यापार की रोकथाम के लिए 'उज्ज्वला गृह' योजना का 1 अप्रैल, 2022 से विलय कर दिया

गया जिसे अब 'शक्ति सदन योजना' के नाम से जाना जाता है। यह एक एकीकृत राहत एवं पुनर्वास गृह है जो संकटग्रस्त महिलाओं, जिनमें दुर्व्यापार की शिकार महिलाएं भी शामिल हैं, के लिए है। इसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और उपयुक्त वातावरण तैयार करना है ताकि वे प्रतिकूल परिस्थितियों से उबर सकें।

- **सखी निवास**-सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत योजना के कार्यान्वयन के लिए सीधे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी की जाती है और इसका उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, वहां कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थानों पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।
- **पालना**-पालना योजना के कार्यान्वयन का उद्देश्य शिशु गृहों (क्रेच) की उपलब्धता का विस्तार करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर जगह महिलाओं को काम करने का अवसर मिले और देखरेख संबंधी जिम्मेदारियों के कारण वे कार्यबल से बाहर न रहें। पालना का लक्ष्य 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए डे-केयर शिशु गृह (क्रेच) की सुविधा प्रदान करना है।
- **संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू)**-संकल्प: एचईडब्ल्यू (महिला सशक्तिकरण केंद्र) मिशन शक्ति के सभी घटकों के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) के रूप में कार्य करता है। यह महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी और ज्ञान की कमी को दूर करने के साथ-साथ उन्हें लाभ और हक प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने वाली एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) के रूप में कार्य करता है।

'मिशन शक्ति' की उपर्युक्त योजनाओं में पीएमएमवीवाई एक प्रमुख योजना है। इस योजना के शुरू होने (01.01.2017) से लेकर 20.07.2026 तक, देश भर में लगभग **4.54 करोड़** महिलाओं को कुल **21,118 करोड़** रुपये की राशि दी गया है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पीएमएमवीवाई के तहत लाभ पाने वाली महिलाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **'अनुलग्नक-I'** में दिया गया है।

पीएमएमवीवाई योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों का निर्धारण करने के पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:

i. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं।
ii. जो महिलाएं आंशिक रूप से (40%) या पूरी तरह से दिव्यांग हैं।
iii. बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाएं।

iv. आयुष्मान भारत के तहत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) की लाभार्थी महिलाएं।
v. ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं।
vi. किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी महिला किसान।
vii. मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं।
viii. ऐसी महिलाएं जिनकी कुल पारिवारिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है।
ix. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/आंगनवाड़ी सहायिका/आशा।
x. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत राशन कार्ड धारक महिलाएं।
xi. कोई अन्य श्रेणी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रोजगार वाली18 वर्ष 7 महीने से लेकर 55 वर्ष तक की आयु की सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं या जो उस समय लागू किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं, पीएमएमवीवाई के तहत लाभ प्राप्त करने की हकदार नहीं होंगी। सभी पात्र लाभार्थी अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र/स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में जाकर पीएमएमवीवाई योजना के तहत अपना पंजीकरण करा सकती हैं।

(iii) मिशन वात्सल्य : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) के कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय है। यह अधिनियम बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, गरिमा तथा कल्याण सुनिश्चित करने संबंधी प्रमुख कानून है और इसका कार्यान्वयन सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर वैधानिक संरचनाओं की स्थापना का प्रावधान है, जिनमें राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, बाल कल्याण समितियाँ, किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) तथा जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ शामिल हैं। इसमें बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) की स्थापना का भी प्रावधान है।

यह मंत्रालय संकटग्रस्त बच्चों को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ देने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्व निर्धारित लागत-साझाकरण के आधार पर 'मिशन वात्सल्य' नाम की केंद्र-प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है। यह योजना संस्थागत देखरेख और गैर-संस्थागत देखरेख की सुविधा देती है। मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखरेख संस्थाएं (सीसीआई) अन्य सुविधाओं के साथ-साथ आयु उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, परामर्श आदि की सुविधाएँ प्रदान करती हैं। गैर-संस्थागत देखरेख सेवा के तहत, प्रायोजन, पालक देखरेख और पश्चात देखरेख के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना में, चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के माध्यम से विकट परिस्थितियों में फंसे बच्चों के लिए आपातकालीन आउटरीच सेवाएं (24x7x365) भी दी जाती हैं, जो गृह मंत्रालय की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली-112 (ईआरएसएस-112) हेल्पलाइन और महिला हेल्पलाइन(181) के साथ एकीकृत है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान मिशन वात्सल्य के तहत लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

'महिला एवं बाल विकास योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी' विषय पर डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा पूछे गए दिनांक 31.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2146 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पीएमएमवीवाई के तहत भुगतान किए गए लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	2023-24	2024-25	2025-26
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	856	1,404	2,053
2	आंध्र प्रदेश	1,50,288	3,19,909	1,91,681
3	अरुणाचल प्रदेश	1,399	4,906	6,033
4	असम	1,60,353	2,83,378	2,34,773
5	बिहार	1,30,880	8,02,894	3,63,606
6	चंडीगढ़	3,038	4,307	4,855
7	छत्तीसगढ़	83,540	4,11,354	3,29,011
8	दिल्ली	42,130	1,11,333	89,096
9	गोवा	1,501	8,743	5,381
10	गुजरात	1,63,492	4,89,543	3,33,927
11	हरियाणा	12,624	1,50,086	2,29,887
12	हिमाचल प्रदेश	9,839	58,012	93,438
13	जम्मू और कश्मीर	13,012	1,41,120	1,80,082
14	झारखंड	64,824	2,59,665	2,69,794
15	कर्नाटक	1,64,345	7,30,921	6,97,073
16	केरल	77,498	2,45,141	2,00,702
17	लद्दाख	1,400	2,511	2,620
18	लक्षद्वीप	531	994	1,061
19	मध्य प्रदेश	4,18,306	13,00,068	8,75,478
20	महाराष्ट्र	93,891	5,39,959	10,28,986
21	मणिपुर	7,739	19,813	12,431
22	मेघालय	3,818	16,691	10,708
23	मिजोरम	2,423	3,772	12,650
24	नागालैंड	2,785	9,274	9,268
25	ओडिशा	-	-	1,41,113
26	पुदुच्चेरी	243	12,918	6,807
27	पंजाब	83,304	2,04,552	1,05,174
28	राजस्थान	1,86,182	9,16,684	6,17,061
29	सिक्किम	898	3,069	4,904
30	तमिलनाडु	2,86,823	5,50,556	5,03,289
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2,848	8,610	5,672
32	त्रिपुरा	7,690	42,422	39,441
33	उत्तर प्रदेश	2,77,011	3,08,121	4,49,899
34	उत्तराखंड	48,451	1,17,636	71,564
35	पश्चिम बंगाल	-	-	-

नोट: *राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एसएनए-स्पर्श प्रणाली पर पीएमएमवीवाई ऑनबोर्डिंग से संबंधित एपीआई के कार्यान्वयन की चल रही प्रक्रिया के कारण, लाभार्थी भुगतान डेटा (वित्त वर्ष 2025-26 का) पीएफएमएस पोर्टल के आंकड़ों के आधार पर केवल एक अनुमान है।*

अनुलग्नक -II

'महिला एवं बाल विकास योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी' विषय पर डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा पूछे गए दिनांक 31.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2146 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान मिशन वात्सल्य के तहत लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	संस्थागत देखभाल के अंतर्गत लाभार्थी			गैर-संस्थागत देखभाल के तहत लाभार्थी		
		वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
1	आंध्र प्रदेश	1546	2152	2284	10000	14187	14187
2	अरुणाचल प्रदेश	206	420	222	1719	1318	1318
3	असम	1241	1615	2036	1919	2400	2400
4	बिहार	2227	2958	3228	4001	6001	6001
5	छत्तीसगढ़	1843	1876	1714	1137	1550	1550
6	गोवा	461	519	405	62	93	93
7	गुजरात	3195	2393	2987	450	472	466
8	हरियाणा	963	946	960	643	880	880
9	हिमाचल प्रदेश	926	1390	1312	1352	2028	2028
10	जम्मू और कश्मीर	1104	1385	1870	4024	5092	5092
11	झारखंड	1238	1995	1765	4629	6793	6793
12	कर्नाटक	3110	4587	2853	12449	18673	18673
13	केरल	776	1345	1370	1455	2182	2182
14	मध्य प्रदेश	2597	2303	2392	13715	20572	20572
15	महाराष्ट्र	3495	3667	4185	21680	32520	32520
16	मणिपुर	2295	2296	2555	1288	1932	1932
17	मेघालय	1031	990	993	1083	1285	1285
18	मिजोरम	1172	1348	1742	1516	2011	2011
19	नागालैंड	562	621	663	779	789	789
20	ओडिशा	4431	4627	7311	3697	5545	5545
21	पंजाब	533	506	543	4150	2483	2483
22	राजस्थान	2733	3958	4629	933	475	359
23	सिक्किम	468	660	725	460	427	427
24	तमिलनाडु	10118	12438	11217	5411	8116	8116
25	तेलंगाना	2243	2485	2465	4858	7287	7287
26	त्रिपुरा	948	1085	1235	1373	2059	2059
27	उत्तर प्रदेश	3226	5420	5125	10000	15000	15000
28	उत्तराखंड	589	868	909	1817	1631	1631
29	पश्चिम बंगाल	4744	7615	7725	2750	4125	4125
30	अंडमान एवं निकोबार	274	263	264	1	0	25

31	चंडीगढ़	222	344	370	309	350	350
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	36	64	58	984	929	815
33	लद्दाख	84	77	96	411	482	482
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	20
35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	1216	1012	1630	635	952	846
36	पुदुच्चेरी	739	654	673	171	256	256
	कुल	**62592**	**76882**	**80511**	**121861**	**170895**	**170598**
